न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — भवानीसिंह पालावत
आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 61/अपील/17 — तारीख दायरा 14.07.2017

रामदयाल शर्मा आ0 नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी जावर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

----------अपीलान्टस

बनाम

1. लालचन्द आ0 गजानन्द जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहरथाना।
2. राम बिलास आ0 गजानन्द जाति सुनार निवासी जावर तहसील मनोहरथाना।
3. शान्तिबाई पत्नि आ0 गजानन्द जाति सुनार निवासी जावर तहसील म0थाना
4. रामदुलारी उर्फ शीला पुत्री गजानन्द पत्नि संतोष सोनी निवासी जावर तहसील मनोहरथाना हाल निवासी 206 कुशलनगर सांगानेर जयपुर
5. प्रेमनारायण उर्फ प्रेमचंद पिता हरिकिशन जाति सुनार निवासी जावर हाल निवासी मनोहरथाना
6. गोवर्धन सोनी पिता हरिकिशन सोनी निवासी जावर तहसील मनोहरथाना।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मनोहरथाना

----------रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय ग्राम पंचायत जावर प0स0 मनोहरथाना दिनांक 06.06.1981 नामा0सं0 215 ग्राम जावर

उपस्थितः—1. श्री चरण सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री इन्द्रलाल गुप्ता वकील रेस्पोडेन्टस नं0 1 से 4

—: निर्णयः— दिनांकः— 04.05.18

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक न्यायालय ग्राम पंचायत जावर प0स0 मनोहरथाना के निर्णय दिनांक 06.06.1981 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम के खाता संख्या नया 53 पुराना 86 का खसरा नम्बर 392 की 9 बीघा 10 बिस्वा ख0न0 395 की 2 बीघा 15 बिस्वा ख0न0 666 की 2 बीघा 11 बिस्वा ख0न0 735 की 11 बिस्वा ख0न0 736 की 3 बिस्वा ख0न0 737 की 1 बिस्वा कुल 6 किता की 15 बीधा 15 बिस्वा आराजी रेस्पो0 नम्बर 1,2,4 के पिता व 3 के पति गजानन्द आ0 रामचन्द्र सुनार के खाते कब्जे काश्त में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जमाबंदी सम्वंत 2038 लगायत 41 अपील मेमो के साथ संलग्न है—यह कि रेस्पो0 के पिता गजानन्द, हरिकिशन वल्द रामचन्द्र जाति सुनार निवासी जावर ने आपसी सहमति से उपरोक्त आराजी का बंटवारा कर अपने हक का हिस्सा काश्त करते आ रहे थे उक्त आराजी को क्रय विक्रय एवं उपभोग करने का अधिकार रेस्पा0 के पिता गजानन्द, हरिकिशन के पास था—रेस्पा0 नं0 5,6 के पिता हरिकिशन आ0 रामचन्द्र जाति सुनार निवासी जावर को अपनी निजी आवश्यकता होने के कारण

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

सह खातेदार गजानन्द की सहमति से बंटवारा के अनुसार दिनांक 07.04.1981 को ख0न0 395 की 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय अकलेरा के समक्ष रूबरू गवाहान बयनामा निष्पादित करवा दिया–जिसका नामा0 नं0 215 दिनांक 06.06.81 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पारित किया गया है–जिसमें बयनामा दिनांक 07.04.1981 का सही तरीके से विवेचन नही कर निर्णय परित किया गया है जो न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्त, विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है । अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद दर्ज की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.81 निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस नं0 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री इन्दरलाल गुप्ता द्वारा वकालत नाम पेश किया गया–रेस्पा0 नं0 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो के तथ्य दोहराते हुवे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह संग्रहसार के विपरीन होने से खारिज योग्य है इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.81 निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलान्ट ने मियाद अवधि को माफ किये जाने के लिए कोई ठोस आधार व्यक्त नहीं किया न ही ऐसे कोई ठोस दस्तावेज अपने पक्ष समर्थन में पेश किये हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण में मेरिट पर विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं है प्रकरण मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवम् प्रस्तुत रेकार्ड एवम बहस पर गौर किया– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट आया कि प्रस्तुत अपील लगभग 37 वर्ष की देरी से पेश हुई है एवम् देरी के बाबत कोई युक्तियुक्त कारण भी अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया जबकि प्रतिदिन की देरी के लिए ठोस कारण जिस पर कि न्यायालय विश्वास कर सके, पेश करना चाहिए था–इस कारण प्रथम द्रष्टया यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है हम विद्वान अभिभाषक रेस्पो. के कथनो से सहमत हैं। अतः हम इस अपील का निस्तारण मेरिट पर करने का विवेचन नहीं करते हुए मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करना उचित समझते हैं। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट मियाद बिन्दु पर ही खारिज की जाती है । निर्णय की एक प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे एवम इस न्यायालय की पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़